–तिहत्तर–

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्या क0नि0–5–4184 / ग्यारह–2005–500(32)–2001
लखनऊ, 07 अक्टूबर, 2005
अधिसूचना

प0आ0–495

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 74 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल संयुक्त प्रान्त स्टाम्प नियमावली, 1942 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सैंतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2005

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सैंतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2005 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2– संयुक्त प्रान्त स्टाम्प नियमावली, 1942 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 152 के उपनियम (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(क) लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को यथास्थिति, दस्तावेज या लिखत के लिए कुल पन्द्रह हजार रुपये से अनधिक मूल्य के न्यायालय फीस स्टाम्प या न्यायिकेत्तर स्टाम्प जनता के किसी एक व्यक्ति को बेचने की अनुमति होगी।	(क) लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को, यथास्थिति, दस्तावेज या लिखत के लिए कुल पन्द्रह हजार रुपये से अनधिक मूल्य के न्यायालय फीस स्टाम्प या न्यायिकेत्तर स्टाम्प या कुल एक हजार रुपये से अनधिक मूल्य के रसीदी टिकट जनता के किसी एक व्यक्ति को बेचने की अनुमति होगी।

3– उक्त नियमावली के नियम 153 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये प्रपत्र संख्या 2 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जाएगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्रपत्र	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र
(प्रपत्र संख्या–2) वी0आर0 प्रपत्र संख्या 360–क भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या–2 सन् 1899) तथा न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (अधिनियम संख्या–7 सन् 1870) के अधीन गैर सरकारी विक्रेताओं द्वारा स्टाम्पों के विक्रय के लिए लाइसेंस। एतद्द्वारा निम्नलिखित को :– नाम..... पिता का नाम..... निवास..... बिक्री का स्थान.....	(प्रपत्र संख्या–2) वी0आर0 प्रपत्र संख्या 360–क भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या–2 सन् 1899) तथा न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (अधिनियम संख्या–7, सन् 1870) के अधीन गैर सरकारी विक्रेताओं द्वारा स्टाम्पों के विक्रय के लिए लाइसेंस। एतद्द्वारा निम्नलिखित को :– नाम..... पिता का नाम..... निवास..... बिक्री का स्थान.....

स्टाम्प का विवरण.....

कुल धनराशि जितने तक का विक्रेता एक दस्तावेज या लिखत के लिए बेच सकता है:– .....

न्यायालय फीस.....

न्यायिकेत्तर.....से आरम्भ होने वाली .....अवधि के लिए

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या–2 सन् 1899) और न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (अधिनियम संख्या–7 सन् 1870) के अधीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए लाइसेंस दिया जाता है। इन नियमों में से किसी का अविलंघन करने पर लाइसेंसधारी भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 69/न्यायालय फीस

स्तम्भ–1
विद्यमान प्रपत्र

अधिनियम की धारा 34 में विहित शास्ति अर्थात् ऐसी अवधि के लिए कारावास जो छः माह तक हो सकता है या जुर्माना जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(1) स्टाम्पों का विवरण :–
(यहां स्टाम्पों का जिनकी बिक्री की जाय विवरण और कुल मूल्य अंकित करें।)
(2) कुल धनराशि जितने तक का विक्रेता एक दस्तावेज या लिखत के लिए बेच सकता है।.....
न्यायालय शुल्क.....
न्यायिकेत्तर.....
जिला.....
दिनांक.....कलेक्टर सम्बद्ध कोषाधिकारी या उपकोषाधिकारी द्वारा लेखे का निरीक्षण करने का दिनांक.....अभ्युक्ति.....
सामान्य तथा न्यायालय फीस स्टाम्पों/बिक्री के लिए संयुक्त लाइसेंस स्वीकृत किया जा सकता है।

लाइसेंस के नवीनीकरण का प्रपत्र यह प्रपत्र यथावत रहेगा।

स्टाम्प का विवरण.....

कुल धनराशि जितने तक का विक्रेता एक दस्तावेज या लिखत के लिए बेच सकता है:– .....

न्यायालय फीस.....

न्यायिकेत्तर.....रसीदी टिकट..... से आरम्भ होने वाली.....अवधि के लिए

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या–2 सन् 1899) और न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (अधिनियम संख्या–7 सन् 1870) के अधीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए लाइसेंस दिया जाता है। इन नियमों में से किसी का अविलंघन करने पर लाइसेंसधारी भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 69/न्यायालय फीस

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

अधिनियम की धारा 34 में विहित शास्ति अर्थात् ऐसी अवधि के लिए कारावास जो छः माह तक हो सकता है या जुर्माना जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(1) स्टाम्पों का विवरण :–
(यहां स्टाम्पों का जिनकी बिक्री की जाय विवरण और कुल मूल्य अंकित करें।)
(2) कुल धनराशि जितने तक का विक्रेता एक दस्तावेज या लिखत के लिए बेच सकता है।.....
न्यायालय शुल्क.....
न्यायिकेत्तर.....रसीदी टिकट.....
जिला.....
दिनांक.....कलेक्टर सम्बद्ध कोषाधिकारी या उपकोषाधिकारी द्वारा लेखे का निरीक्षण करने का दिनांक.....
अभ्युक्ति.....सामान्य तथा न्यायालय फीस स्टाम्पों/रसीदी टिकटों की बिक्री के लिए संयुक्त लाइसेंस स्वीकृत किया जा सकता है।

लाइसेंस के नवीनीकरण का प्रपत्र यह प्रपत्र यथावत रहेगा।

4–उक्त नियमावली के नियम 161 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1
विद्यमान नियम

161–छूट–प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त विक्रेता, जो सरकारी कोषागार से नकद धन का भुगतान करके न्यायिकेत्तर, न्यायालय फीस या प्रतिलिपि स्टाम्पों को क्रय करता है, स्टाम्पों के अंकित मूल्य के 1.00 रुपये प्रतिशत की छूट पर उसे प्राप्त करेगा।

यदि अनुज्ञेय छूट रुपये के भाग में हो, तो ऐसे किसी भाग जो निकटतम पांच पैसे के

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा संशोधित नियम

161–छूट–प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त विक्रेता, जो सरकारी कोषागार से नकद धन का भुगतान करके न्यायिकेत्तर, न्यायालय फीस या प्रतिलिपि स्टाम्पों को क्रय करता है, स्टाम्पों के अंकित मूल्य के 1.00 रुपये प्रतिशत की छूट पर उसे प्राप्त करेगा।

यदि अनुज्ञेय छूट रुपये के भाग में हो, तो ऐसे किसी भाग जो निकटतम पांच पैसे के

न्यूनतम गुणांक से कम हो, को छोड़ दिया जायेगा।	न्यूनतम गुणांक से कम हो, को छोड़ दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा संशोधित नियम
परन्तु निम्नलिखित में कोई छूट नहीं दी जायेगी :– (क) किसी स्टाम्प पर जिसकी पूर्ति स्वयं क्रेता द्वारा प्रस्तुत किसी सामग्री पर किया गया हो; (ख) जब तक कि एक बार में कम से कम 5 रुपये के संकलित मूल्य के स्टाम्प क्रय न किये जायें; (ग) केवल एक रुपये के किसी भाग पर; तथा (घ) आसंजक रसीदी स्टाम्पों के क्रय के लेखा पर।	परन्तु निम्नलिखित में कोई छूट नहीं दी जायेगी :– (क) किसी स्टाम्प पर जिसकी पूर्ति स्वयं क्रेता द्वारा प्रस्तुत किसी सामग्री पर किया गया हो; (ख) जब तक कि एक बार में कम से कम 5 रुपये के संकलित मूल्य के स्टाम्प क्रय न किये जायें; (ग) केवल एक रुपये के किसी भाग पर।

5–उक्त नियमावली के नियम 179 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(2) छापित न्यायालय फीस स्टाम्पों के लिए।	(2) छापित न्यायालय फीस स्टाम्पों और रसीदी टिकटों के लिए।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
अतुल चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. K.N.-5-4I84/XI-2005-500(32)-2001, dated October 7, 2005, for general information:

No. K.N.-5-4184/XI-2005-500(32)-2001
Lucknow, Dated October 07, 2005
Notification

In exercise of the powers under section 74 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following Rules with a view to amending the United Provinces Stamp Rules, 1942 :-

THE UTTAR PRADESH STAMP (FORTY SEVENTH AMENDMENT) RULES, 2005

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Stamp (Forty seventh Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. In the United Provinces Stamp Rules, 1942, hereinafter referred to as the said Rules, for in rule 152, for sub-rule (a) set out in column-I below, the sub-rule as set out in column-II shall be substituted, namely:-

COLUMN-I Existing sub-rule	COLUMN-II Sub-rule as hereby substituted
(a) Licensed vendors shall be allowed to sell court fee stamps or non-judicial stamps, not exceeding the aggregate value of fifteen thousand rupees for the document or instrument, as the case may be and to an individual member of the public.	(a) Licensed vendors shall be allowed to sell court fee stamps or non-judicial stamps, not exceeding the aggregate value of fifteen thousand rupees for the document or instrument, as the case may be or the revenue stamps. not exceeding the aggregate value of one thousand rupees to an individual member of the public.

3. In the said rules, in the rule 153 for form no. II, set out in column-I below, the form as set out in column-II shall be substituted, namely:-

COLUMN-I **Existing Form**	**COLUMN-II** **Form as hereby substituted**
(a) (Form no. II) B.R. Form no. 360-A Licence for the sale of stamps by non-official vendors, under the Indian	(a) (Form no. II) B.R. Form no. 360-A Licence for the sale of stamps by non-official vendors, under the Indian
Stamp Act, 1899 (Act no. II of 1899) and the Court Fees Act, 1870 (Act no. VII of 1870) Licence is hereby granted to..... Name..... Fathers name..... Residence..... place of vend..... Description of stamps..... Aggregate amount up to which the vendor may sell for one document or instrument..... Court Fees..... Non-judicial..... For the period of..... Commencing from.....	Stamp Act, 1899 (Act no. II of 1899) and the Court Fees Act, 1870 (Act no. VII of 1870) Licence is hereby granted to..... Name..... Fathers name..... Residence..... place of vend..... Description of stamps..... Aggregate amount up to which the vendor may sell for one document or instrument..... Court Fees..... Non-judicial..... Revenue..... For the period of..... Commencing from.....
Subject to the rules framed on this behalf by the Governor of Uttar Pradesh under the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. II of 1899) and the Court Fees Act 1870 (Act no. VII of 1870). The infringement of any of these rules shall render the licensee liable to the penalty prescribed in section 69 of the Indian Stamp Act/Section 34 of the Court fees Act, viz. imprisonment for a term which may extend to six months or fine, which may extend to five hundred rupees or both.	Subject to the rules framed on this behalf by the Governor of Uttar Pradesh under the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. II of 1899) and the Court Fees Act 1870 (Act no. VII of 1870). The infringement of any of these rules shall render the licensee liable to the penalty prescribed in section 69 of the Indian Stamp Act/Section 34 of the Court fees Act, viz. imprisonment for a term which may extend to six months or fine, which may extend to five hundred rupees or both.

COLUMN-I **Existing Form**	**COLUMN-II** **Form as hereby substituted**

(1) Description of stamps (Here enter the description and aggregate value of stamps which may be sold) (2) Aggregate amount up to which the vendor may sell for one document or instrument. Court fees..... Non-judicial..... District..... Dated.....	(1) Description of stamps (Here enter the description and aggregate value of stamps which may be sold) (2) Aggregate amount up to which the vendor may sell for one document or instrument. Court fees..... Non-judicial..... Revenue..... District..... Dated.....
Collector Date of inspection of accounts by the Treasury or sub-Treasury Officer concerned Remarks (A combined license may be granted for the sale of general and court fee stamps) Form of Renewal of Licence- This form shall remain as it is.	Collector Date of inspection of accounts by the Treasury or sub-Treasury Officer concerned Remarks (A combined license may be granted for the sale of general and court fee stamps) Form of Renewal of Licence- This form shall remain as it is.

4. In the said rules, for rule 161 set out in column-I below, the rule as set out in column-II shall be substituted, namely:-

COLUMN-I **Existing rule**	**COLUMN-II** Rule as hereby substituted
161. Discount: Every licensed vendor who purchases non-judicial, court fee or copy stamps from the Government treasury by payment of ready money shall receive the same at a discount of Re one percent of the face value of the stamps. If the discount permissible contains a fraction of a rupee, any such fraction in excess of the nearest lower multiple of five paise shall be ignored: Provided that no discount shall be allowed:- (a) on any stamps supplied on any material furnished by the purchaser himself,	161. Discount: Every licensed vendor who purchases non-judicial, court fee or copy stamps from the Government treasury by payment of ready money shall receive the same at a discount of Re one percent of the face value of the stamps. If the discount permissible contains a fraction of a rupee, any such fraction in excess of the nearest lower multiple of five paise shall be ignored: Provided that no discount shall be allowed:- (a) on any stamps supplied on any material furnished by the purchaser himself,
COLUMN-I **Existing rule**	**COLUMN-II** **Rule as hereby substituted**
(b) unless stamps of an aggregate value of not less than Rs. 5.00 are purchased at one time, (c) on the fraction of only one rupee, and (d) on account of purchase of adhesive revenue stamps.	(b) unless stamps of an aggregate value of not less than Rs. 5.00 are purchased at one time, (c) on the fraction of only one rupee, and (d) on account of purchase of adhesive revenue stamps.

5. In the said rules, in rule 179 for clause (2) as set out in column-I below, the clause as set out in column-ll shall be substituted, namely:-

COLUMN-I **Existing clause**	**COLUMN-II** **Clause as hereby substituted**
(2) for impressed court -fee stamps.	(2) for impressed court -fee stamps

and revenue stamps.

By order,
Sd/-Illegible
ATUL CHATURVEDI,
Pramukh Sachiv.